



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127070

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या - 2668 वर्ष 2026

सुमित उर्फ सुमित कुमार

.....आवेदक (गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : नागेन्द्र कुमार सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मंजू यादव

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी

- विद्वान एजीए को प्राप्त निर्देशों के अनुसार, सूचनाकर्ता/विपक्षी संख्या 4 को नोटिस दिया गया है, लेकिन अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, सुश्री मंजू यादव, उच्च न्यायालय विधिक सेवाओं के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- वर्तमान प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 279/2025, धारा 352, 74 भारतीय न्याय संहिता, धारा 9एम/10 पॉक्सो अधिनियम तथा धारा 3(2)(वीए) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, थाना अनूपशहर, जनपद बुलन्दशहर में अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और गुप्त उद्देश्य के कारण वर्तमान प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, आवेदक ने एक अन्य आरोपी के साथ सूचनाकर्ता

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की बेटी के साथ छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार किया। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से कोई सरोकार नहीं है और उसने कोई अपराध नहीं किया है जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि एफआईआर के संस्करण और जांच के दौरान दर्ज किए गए पीड़ित और सूचनाकर्ता के बयानों में बड़े विरोधाभास हैं। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि जांच के दौरान दर्ज किए गए अपने बयान में, चश्मदीद गवाह कुमारी गौरी ने आवेदक के खिलाफ छेड़छाड़ और जातिगत अपमानजनक भाषा का कोई आरोप नहीं लगाया है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान प्रकरण के अलावा, आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में किसी भी समय पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि उसके खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विवेचना/मुकदमे में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना का विरोध किया।

6. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) और अन्य, (2020)

5 एससीसी 1 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कानून को अंतिम रूप से यह कहते हुए तय किया है कि अग्रिम जमानत हमेशा सीमित अवधि की नहीं होनी चाहिए। उपर्युक्त प्रकरण में, यह मुकदमे के समापन तक जारी रह सकता है। इसमें आगे यह व्यवस्था दी गई है कि अभियुक्त के आचरण और व्यवहार के आधार पर दी गई अग्रिम जमानत मुकदमे तक आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जारी रह सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आगे यह व्यवस्था दी गई है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, उसके द्वारा जांच के पाठ्यक्रम को प्रभावित करने की संभावना, या गवाहों को डराने सहित सबूतों के साथ छेड़छाड़, न्याय से भागने की संभावना, जैसे कि देश छोड़ने पर विचार करना होगा। आदि। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अदालतों को आम तौर पर अपराधों की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को जिम्मेदार ठहराया गया भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों से निर्देशित किया जाना चाहिए, जबकि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि अग्रिम जमानत दी जाए या इसे अस्वीकार किया जाए। अनुदान देना है या नहीं देना यह विवेक का प्रकरण है।



7. अग्रिम जमानत, आरोप की प्रकृति, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरे विचार में, यह मुकदमे तक आवेदक को अग्रिम जमानत के लिए एक उपयुक्त प्रकरण है।

8. आवेदन तदनुसार **स्वीकृत** किया जाता है।

9. आवेदक **सुमित उर्फ सुमित कुमार**, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में सम्मिलित है, इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर, यथास्थिति, विचारण न्यायालय/विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा तथा ₹50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो-दो प्रतिभूतियाँ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रकरण में निर्धारित तारीख को संबंधित विवेचना अधिकारी/न्यायालय के समक्ष स्वयं को उपस्थित करेगा और जांच/विचारण में सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस कार्यालय में ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके।

(iii) आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा और यदि उसके पास पासपोर्ट है, तो उसे उसके द्वारा संबंधित एस.एस.पी./एस.पी. पास जमा करना होगा।

(iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को अग्रिम जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

10. किसी भी शर्त के चूक के प्रकरण में, यह आवेदक को दी गई सुरक्षा को रद्द करने का आधार हो सकता है।

(न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी)

12 जून 2026

केके पटेल